

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 186/2023-24

दिनांक : 27.10.2023

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री दान सिंह,
ग्राम टपेड़ा, खटीमा।

परिवादी

बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री दान सिंह की यह शिकायत दिनांक 11.10.2023 को कार्यालय, विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-KH29999230204 (01 किलोवाट घरेलू) से पूर्व उनके द्वारा मकान के निर्माण हेतु दिनांक 25.11.2021 को विभाग से एक अस्थायी विद्युत संयोजन लिया गया था जिसे उन्होंने मकान का कार्य पूर्ण होने के तुरन्त बाद व स्थायी संयोजन मिलने पर विभाग के लाईनमैन द्वारा कटवा दिया गया था। इस प्रक्रिया के उपरांत जब अस्थायी विद्युत संयोजन की जमानत की धनराशि वापिस किए जाने हेतु विभाग से सम्पर्क किया गया तो विभाग द्वारा उपरोक्त स्थायी विद्युत संयोजन संख्या देकर कहा गया कि काम हो जायेगा, परन्तु आज दिनांक तक विभाग द्वारा अस्थायी विद्युत संयोजन की जमानत की धनराशि वापिस नहीं की गयी है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने अस्थायी विद्युत संयोजन से सम्बन्धित जमानत की धनराशि (सिक्योरिटी) वापिस कराये जाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता को अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।



क्रमशः 2.....

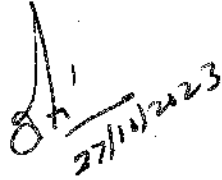
विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने दिनांक 27.10.2023 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर इस मंच को अवगत कराया कि परिवादिनी द्वारा भवन निर्माण हेतु अस्थाई विद्युत संयोजन ऊर्जीकृत कराया गया था जोकि भवन निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त विच्छेदित करा लिया गया गया है। जिसके उपरान्त विभाग द्वारा उक्त संयोजन में जमा करायी गई सिक्योरिटी की धनराशि को दिनांक 26.10.2023 को धनराशि रू0 6358.00 का चैक संख्या-001986 जारी कर दिया गया है। उक्त चैक को परिवादी से दूरभाष पर सम्पर्क कर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अंशतः स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी की सिक्योरिटी धनराशि रू0 6358.00 का चैक तत्काल परिवादी को हस्तगत करें। विपक्षी विभाग इस आदेश की अनुपालन आख्या 30 दिन के भीतर इस मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।



(रमेश चन्द्र कुकरेती)
न्यायिक सदस्य



(नवीन चन्द्र तिवारी)
तकनीकी सदस्य



(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य